अपील सिविल
न्यायमूर्ति, प्रेम चंद पंडित और एच. आर. सोधी, के समक्ष,

कपूर निलोखेड़ी सहकारी डेयरी फार्म सोसायटी, अपीलार्थी
बनाम
भारत संघ और अन्य,-उत्तरदाता।
पहली अपील, आदेश सं. 184 सन 1965 से
4 अगस्त, 1969

साक्ष्य अधिनियम (1872 का I)-धारा 3,123 और 124-मध्यस्थता अधिनियम (1940 का X)-धारा 30-मध्यस्थता कार्यवाही-स्वीकार्यता, प्रासंगिकता और साक्ष्य के विशेषाधिकार के दावे का प्रश्न-मध्यस्थ-क्या निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र है-धारा 123 और 124, साक्ष्य अधिनियम-क्या मध्यस्थ द्वारा अवहेलना की जा सकती है -विशेषाधिकार का दावा-इसे मध्यस्थ द्वारा कब फिर से लागू किया जाना चाहिए -साक्ष्य की स्वीकार्यता के प्रश्न को तय करने में मध्यस्थ द्वारा की गई त्रुटि-क्या यह कदाचार के बराबर है।

अभिनिर्धारित किया गया कि एक मध्यस्थ साक्ष्य और प्रक्रिया के कठोर नियमों से बंधा एक नियमित न्यायालय नहीं है, लेकिन साथ ही उसे उस प्रक्रिया का पालन करना चाहिए जो प्राकृतिक न्याय के अनुरूप हो और पक्षकारों को अपने मामले को उसके समक्ष रखने के लिए एक निष्पक्ष और उचित अवसर प्रदान करे ताकि उनके बीच सामंजस्य को ठीक से हल किया जा सके। मध्यस्थ किसी भी साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में निर्णय ले सकता है और उसे खारिज कर सकता है यदि वह इसे अप्रासंगिक पाता है या किसी न्यायालय में पेश किए जाने से संबंधित विशेषाधिकार से संबंधित नियमों द्वारा प्रभावित होता है, हालांकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम अपनी शर्तों में उसके समक्ष कार्यवाही के लिए लागू नहीं है। मध्यस्थ के पास यह निर्णय करने का अधिकार है कि क्या प्रासंगिक या अप्रासंगिक है, और किसी उचित मामले में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 में अनुज्ञात रीति को छोड़कर, राज्य के मामलों से संबंधित अप्रकाशित सरकारी अभिलेखों से प्राप्त जानकारी को साक्ष्य में लेने से इनकार कर सकता है। मध्यस्थ आधिकारिक विश्वास में लोक अधिकारियों के बीच किए गए संचार के बाध्यकारी प्रकटीकरण में अपनी शक्तियों के भीतर कार्य करेगा जब वह मानता है कि इस तरह के किसी भी प्रकटीकरण से सार्वजनिक हित को नुकसान होगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 और 124 में निहित कानून के प्रावधान, जो एक दूसरे के पूरक हैं, सार्वजनिक नीति के व्यापक सिद्धांतों पर आधारित हैं, जिनकी मध्यस्थ द्वारा केवल इसलिए अवहेलना नहीं की जा सकती है क्योंकि वह एक नियमित न्यायालय का गठन नहीं करता है। यह मध्यस्थ के न्यायिक विवेकाधिकार का मामला है और वह कुछ मामलों में ऐसे दस्तावेजों को पेश करने के लिए मजबूर कर सकता है, जिनके बारे में वह समझता है कि उनमें राज्य के मामलों से संबंधित अनौपचारिक अभिलेखों से प्राप्त कोई साक्ष्य नहीं है या आधिकारिक विश्वास में संचार नहीं है।

(पैरा 12)

अभिनिर्धारित किया गया है कि टोनी साक्ष्य की ग्राह्यता के प्रश्न का विनिश्चय करने में मध्यस्थ को ईमानदारी से और न्यायिक रूप से कार्य करना होगा और यदि वह विधि की कोई त्रुटि करता है जो अपने आप में अधिनिर्णय को अपास्त करने का आधार नहीं है, क्योंकि मध्यस्थ पक्षकारों द्वारा चुना गया न्यायाधीश होता है और सही निर्णय ले सकता है या मेसर्स। कपूर निलोखेरी को-ऑपरेटिव डेयरी फार्म सोसायटी बनाम भारत संघ और अन्य (सोधी, जे।) गलत तरीके से और पक्षों को उसके फैसले को स्वीकार करना होगा जब तक कि वह कदाचार का दोषी साबित न हो जाए। तथापि, यदि मध्यस्थ ने स्वीकार्यता के प्रश्न का गलत निर्णय करके, साक्ष्य रखा है जो भौतिक है और मामले के निर्णय को प्रभावित करने की संभावना है, तो उसका आचरण प्राकृतिक न्याय के नियमों का उल्लंघन है और ऐसी स्थिति में अधिनिर्णय को दरकिनार कर दिया जाना चाहिए। , (पैरा 12) श्री हरबंस सिंह, वरिष्ठ उप-न्यायाधीश, कमल, दिनांक 25 नवंबर, 1965 के न्यायालय के आदेश से पहली अपील, जिसमें एक करोड़ रुपये की वसूली के लिए एक डिक्री पारित की गई थी। 73, 342.43 पैसा, और भूमि और भवनों के कब्जे के लिए भी, जैसा कि भारत संघ और पंजाब राज्य के पक्ष में मेसर्स के खिलाफ निर्णय में कहा गया है। कपूर निलोखेरी सहकारी डेयरी. फार्म सोसायटी, निलोखेरी।

अपीलार्थी की ओर से वकील भागीरथ दास, एम. एम. पुंछी और एस. के. हीराजी।
डी. एस. नेहरा, के. एस. नेहरा और एस. पी. गोयल, अधिवक्ता, प्रत्यर्थियों की ओर से।

निर्णय

न्यायमूर्ति, सोधी,

-आदेश से यह पहली अपील 25 नवंबर, 1965 को वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश, करनाल द्वारा पारित निर्णय के खिलाफ निर्देशित की गई है, जिन्होंने अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों को अस्वीकार करते हुए विवादित पुरस्कार को किसी भी तरह से संशोधित या संशोधन किए बिना न्यायालय का नियम बना दिया था। इस पुरस्कार के आधार पर, रुपये की वसूली के लिए एक डिक्री। 73, 342.43 और नीलोखेड़ी, जिला करनाल में स्थित भूमि और भवनों के कब्जे के लिए भी, जैसा कि वाद में निर्दिष्ट है, पारित किया गया था। अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों को समझने के लिए, कुछ प्रासंगिक तथ्यों को विस्तार से बताना आवश्यक है।

(2) निलोखेरी में सरकार द्वारा एक दूध डेयरी चलाई जा रही थी जिसे ज्यादातर विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए एक पुनर्वास कॉलोनी के रूप में स्थापित किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि वर्ष 1950 में कहीं न कहीं सरकार ने डेयरी के प्रबंधन को एक व्यावसायिक चिंता के रूप में विस्थापित व्यक्तियों को सौंपने का फैसला किया, जिन्होंने खुद को एक डेयरी एसोसिएशन में स्थापित किया (hereinafter called the Association). इसलिए, कुछ विस्थापित व्यक्तियों, जैसे कि राम सरन दास, जगन नाथ, गुरबक्स राय, जेंडा राम और निहाल चंद, जो एक तरफ एसोसिएशन की ओर से काम कर रहे थे, और दूसरी तरफ प्रशासनिक अधिकारी, निलोखेरी, के बीच एक समझौते को निष्पादित किया गया। यह समझौता 1 अक्टूबर, 1950 से लागू होना था। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि प्रशासनिक अधिकारी भारत संघ की ओर से काम कर रहे थे। इस समझौते के कई खंड हैं जिन्हें यहाँ दोहराना आवश्यक नहीं है। हालांकि, यह कहा जा सकता है कि सहमति के संदर्भ में, एसोसिएशन को कृषि भूमि, भवनों, उपकरणों, फर्नीचर, फिक्स्चर और पशुधन सहित पूरे व्यावसायिक सरोकार को सौंप दिया गया था। एसोसिएशन को प्रशासन द्वारा बिजली, पानी की आपूर्ति, कच्चे माल की खरीद आदि के मामले में सुविधाओं का आश्वासन दिया गया था, ताकि डेयरी में पशुओं के लिए चारा और भोजन उपलब्ध कराया जा सके। ↑ डेयरी के पूर्ण नियंत्रण और प्रबंधन को संभालने के लिए एक विचार के रूप में, एसोसिएशन को पशुधन की कीमत, भवनों के किराए और अन्य सुविधाओं के लिए कुछ भुगतान करना पड़ता था, हालांकि ये भुगतान किस्त के आधार पर किए जा सकते थे। पूंजी की अवैतनिक शेष राशि, उपकरणों की लागत, फर्नीचर और फिक्स्चर और नए निजी उद्यम को हस्तांतरित किए गए जीवित स्टॉक पर सरकार को 3 जे प्रतिशत की दर से ब्याज देय था। समझौते में यह भी प्रावधान किया गया था कि गोदाम में जीवित स्टॉक, कच्चे माल और तैयार माल के कुल मूल्य के साथ-साथ बैंक शेष किसी भी समय प्रशासन के कारण होने वाले धन से कम नहीं होंगे; और इनकी कमी की स्थिति में, प्रशासन के पास अनुबंध को रद्द करने की शक्तियां होंगी। अनुबंध को रद्द किया जा सकता है यदि संघ प्रशासन की पूर्व स्वीकृति के बिना एक सप्ताह से अधिक समय तक अपना व्यवसाय बंद कर देता है या अनुबंध को सौंपा या उपपत्रित करता है या समझौते में निर्दिष्ट कोई अन्य कार्य करता है जिसमें उसके किसी भी खंड का उल्लंघन शामिल है। समझौते का खंड (डी) प्रशासन को कुछ शुल्कों का भुगतान करने के लिए संघ के दायित्व से संबंधित है। खंड (ई) में यह प्रावधान किया गया है कि एसोसिएशन कम से कम 80 पशुओं के सिर रखेगी और यदि किसी भी समय पशुओं के सिरों की संख्या उक्त सीमा से कम हो जाती है, तो एसोसिएशन को प्रत्येक पशुओं के सिर के लिए एक एकड़ भूमि का उपयोग छोड़ना होगा। एसोसिएशन को पशुओं के लिए चारा और अन्य चारा उगाने के लिए लगभग 135 एकड़ भूमि दी गई थी। खंड (ओ) और (डब्ल्यू) संदर्भ की सुविधा के लिए यहां पुनः प्रस्तुत किए गए हैं: —

"(0) यदि इस उपबंध के प्रारंभ होने के पश्चात् किसी भी समय प्रशासन किसी भी कारण से इस करार को जारी रखने की अपेक्षा नहीं करेगा या इस कारबार को चलाने के लिए ऐसी मूलभूत सुविधाएँ प्रदान करने में विफल रहता है, जैसा कि ऊपर खंड 'ग' में इंगित किया गया है, तो प्रशासन हमें इस तथ्य की लिखित सूचना देगा। ऐसी स्थिति में प्रशासन हमें उसके परिणामस्वरूप होने वाले किसी भी नुकसान के लिए मुआवजा देने के सवाल पर विचार करेगा। प्रशासन द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि हमें किसी भी भुगतान या मुआवजे के आगे किसी भी दावे के बिना स्वीकार्य होगी।

(डब्ल्यू) कि इस अनुबंध के किसी भी खंड या खंड का पालन करने में हमारी विफलता की स्थिति में आपके पास अनुबंध को रद्द करने की शक्ति होगी। ऐसी स्थिति में हम अपने आप को आपके द्वारा तय किए गए पूरे मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बना देंगे, जो हम पर बाध्यकारी होगा। इस व्यवसाय में हमारे द्वारा बनाई गई संपत्ति या व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से हमारे स्वामित्व वाली अन्य व्यक्तिगत संपत्ति, जो इस व्यवसाय से जुड़ी नहीं हैं, यदि मुआवजे की राशि की मांग होती है तो क्षतिपूर्ति के भुगतान के खिलाफ जब्त कर ली जाएगी।
समझौते के साथ प्रदर्शनी आर/एल को कुछ बयानों को अनुलग्नक के रूप में जोड़ा गया था ताकि यह इंगित किया जा सके कि किस मूल्य के लिए पशुधन, उपकरण आदि को स्थानांतरित किया जाना था। कुछ युवा पशुओं के मूल्य को बहुत ध्यान में रखा गया था, जबकि खराब स्थिति में कुछ पशुओं के मूल्य का मूल्यांकन उनके पुस्तक मूल्य से कम किया गया था और तदनुसार छूट की अनुमति दी गई थी। कुल छूट रु। 4,930-11-6 और यह प्रेम, उस जीवित स्टॉक के कुल पुस्तक मूल्य से काटा गया था जो कुछ

विकलांगता के तहत है। कुछ गायों और भैंसों की तुलना में जिनकी पुस्तक मूल्य रु। 11, 941 और रु। 35,580-1-9, आदरपूर्वक, अभिव्यक्ति 'अनंतिम' टिप्पणी कॉलम में लिखी गई थी। उस प्रविष्टि को यहाँ पुनः प्रस्तुत करना उपयोगी हो सकता है-वस्तु सं।

Item No	Description	Total No.	Aomunt Rs.	Remarks
2.	Cows & buffaloes (Tharparkar) (Hariana)	39	11,941-0-0	Provisional
	(Nilli S Buff he-iloes) c	47	35,580-1-9	Proyisional
	N0te •			The value of young stock numbering 52 in all has not been taken into account. The value of the following animals which are in bad condition at the Time of transferring shall be assessed and proportionate rebate shall be given in the book value as shown below:— Buffaloes numbered;

कुल मिलाकर 52 की संख्या वाले युवा स्टॉक के मूल्य को ध्यान में नहीं रखा गया है।

नोट-स्थानांतरण के समय खराब स्थिति में निम्नलिखित जानवरों के मूल्य का आकलन किया जाएगा और आनुपातिक छूट पुस्तक मूल्य में दी जाएगी जैसा कि नीचे दिखाया गया हैः -

(3) एसोसिएशन ने बाद में खुद को पंजाब सहकारी समितियों अधिनियम के तहत पंजीकृत एक सहकारी समिति में बदल दिया, और मेसर्स कपूर निलोखेरी को-ऑपरेटिव डेयरी फार्म सोसाइटी, लिमिटेड, निलोखेरी के नाम और शैली के तहत अपना व्यवसाय जारी रखा। सोसायटी के गठन के परिणामस्वरूप जो एक अलग न्याय था पंजाब सहकारी समिति अधिनियम के तहत निगमित व्यक्ति के लिए एक नए समझौते की आवश्यकता पड़ी और 5 मई, 1953 को समझौते का निष्पादन किया गया। पक्षों के बीच प्रचलित नियमों और शर्तों में कोई भिन्नता नहीं थी। बाद में पक्षों के बीच कुछ विवाद उत्पन्न हुए। 31 जुलाई, 1959 को मध्यस्थता अधिनियम की धारा 20 के तहत किए गए एक आवेदन पर श्री बी. एल. मागो, अधीनस्थ न्यायाधीश, प्रथम श्रेणी, पटियाला को मध्यस्थ नियुक्त किया गया था। एक ओर भारत संघ और पंजाब राज्य और दूसरी ओर सोसायटी मध्यस्थ के समक्ष प्रतिद्वंद्वी पक्ष थे। सरकार ने दावा किया कि सोसायटी ने भुगतान नहीं किया था जबकि सोसाइटी का मामला यह था कि वह पशुओं के मूल्य के बाद कुछ अवमूल्यन का हकदार था, जिसे मूल रूप से लेखा पुस्तकों में प्रविष्टियों के अनुसार 'दूरदर्शी' के रूप में उल्लिखित किया गया था, पशुओं की आयु, इसकी दूध देने की क्षमता और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए सरकार के डेयरी विभाग द्वारा अपनाए गए सूत्र के अनुसार निर्धारित किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिका में कहा गया है कि 'अनंतिम' शब्द का उपयोग विशुद्ध रूप से किया गया था क्योंकि सोसायटी को हस्तांतरित किए गए पशुधन की अंतिम कीमत और जिसके खिलाफ 'अनंतिम' शब्द का उपयोग किया गया था, अभी तक तय नहीं किया गया था।

(4) मध्यस्थ के समक्ष पक्षकारों के अभिवचनों पर, निम्नलिखित मुद्दे तैयार किए गए थेः-"

(1) दिनांक 5 मई, 1953 और 1 अक्टूबर, 1950 के समझौतों के अनुलग्नकों में प्रयुक्त 'अनंतिम' अभिव्यक्ति का क्या अर्थ था?

(2) क्या दूसरे अनुबंध को देखते हुए पहले समझौते का कोई प्रभाव समाप्त हो गया है?

(3) क्या दावेदार किसी मूल्यह्रास का हकदार है? यदि हाँ, तो कितना?

(4) क्या किसी पक्ष ने अनुबंध का उल्लंघन किया है? यदि ऐसा है तो इसका प्रभाव क्या है?

(5) दावेदार किन नुकसानों, यदि कोई हो, का हकदार है?

(6) क्या उपकरण इस विशिष्ट शर्त पर लौटा दिया गया था कि प्राप्त सामग्री को बिक्री के लिए नीलामी में रखा जाएगा और दावेदार को पुनर्निर्धारित किया जाएगा?

(7) यदि हां, तो बिक्री-आय क्या है?

(2) (8) यदि मुद्दा नं. 6 साबित नहीं होता है, तो वह राशि क्या है जो दावेदार वापस किए गए उपकरण के भुगतान के लिए जमा करने का हकदार है?

(9) उत्तरदाताओं को किए गए दावों के लिए कितनी राशि प्राप्त हुई थी?

(10) क्या उत्तरदाताओं द्वारा कोई तकनीकी मार्गदर्शन दिया जाना था?

(11) यदि हां, तो इसे न दिए जाने का क्या प्रभाव है और दावेदार उस खाते में किस नुकसान, यदि कोई हो, का हकदार है?

(12) क्या सहमति में निर्धारित सुविधाओं के अलावा कोई अन्य सुविधाएं प्रतिवादी द्वारा दावेदार को प्रदान की जानी थीं?

(13) यदि हां, तो क्या उन्हें नुकसान या अन्यथा के रूप में और किस प्रभाव के साथ प्रदान किया गया था?

(14) दावेदार को समय पर पूरी भूमि आवंटित नहीं किए जाने के कारण दावेदार क्या नुकसान, यदि कोई हो, का हकदार है?

(15) क्या दी गई भूमि सहमत गुणवत्ता और स्थिति की नहीं थी?

(16) यदि हां, तो दावेदार किस नुकसान, यदि कोई हो, का हकदार है?

(17) जहां तक भुगतान के लिए देयता और किराए के प्रति इसके समायोजन का संबंध है, क्या दावेदार अन्य कृषक आबंटियों के समान व्यवहार का हकदार नहीं था?

(18) क्या दावेदार भूमि अंतरण प्राप्त करने का हकदार है? यदि हाँ, तो किन शर्तों पर?

(19) क्या प्रत्यर्थियों द्वारा दायर तथ्यों के प्रति-कथन में दिए गए कारणों के लिए सोसायटी को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और प्रत्यर्थियों द्वारा यह याचिका दायर की जानी चाहिए?

(20) यदि मुद्दा नं. 4 प्रत्यर्थियों के पक्ष में साबित होता है, क्या दावेदार भारत संघ को विचाराधीन भूमि वापस देने के लिए बाध्य है?(21) प्रत्यर्थी किस देय राशि का हकदार है?

(22) राहत। 'इस अपील के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक मुद्दे पर मध्यस्थ के निष्कर्षों को संदर्भित करना आवश्यक नहीं है। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि मध्यस्थ ने पाया कि दावेदार (सोसायटी) ने निम्नलिखित शर्तों का उल्लंघन किया था:-

> "(i) भवन का किराया दावेदारों द्वारा मासिक रूप से भुगतान नहीं किया गया था, जैसा कि उनके द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी,-अनुबंध प्रदर्शनी आर/2 के खंड डी (i) के अनुसार।
>
> (ii) दावेदारों ने अनुबंध के खंड डी
> iii) दावेदार मासिक आधार पर 3 $प्रतिशत ब्याज का भुगतान करने में विफल रहे, जैसा कि उनके द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी-अनुबंध के खंड डी (वी) के अनुसार।
>
> (iv) के अनुसार, किस्त भुगतान के आधार पर उन्हें हस्तांतरित किए गए उपकरणों, फर्नीचर और फिक्स्चर और पशुधन के कुल बुक वैल्यू का भुगतान नहीं किया।
>
> (iv) दावेदार अनुबंध के खंड डी (ix) के अनुसार कच्चे माल की लागत का भुगतान करने में विफल रहे।
>
> (v) दावेदार अनुबंध के खंड डी (एक्स) के अनुसार कृषि भूमि के किराए का भुगतान करने में विफल रहे, जैसा कि उनके द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी।
>
> (vi) दावेदारों ने उस पूरी भूमि का उपयोग करने के लिए नहीं रखा जिसके लिए इसे दिया गया था।

(5) विभिन्न मुद्दों पर अपने निष्कर्षों के परिणामस्वरूप मध्यस्थ ने यह विचार व्यक्त किया कि सरकार रु। 97, 765.43 और रुपये की राशि घटाने के बाद। 14, 423 जो दावेदारों के सत्यापित दावों के संबंध में था, उत्तरदाता रुपये की राशि के हकदार होंगे। 83, 342.43. रुपये की एक और राशि थी। 10, 000 हर्जाने के रूप में, जिसकी अनुमति दावेदारों को दी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप सोसायटी की देनदारी रु। 73, 342.43 किस राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया था। यह केवल इतना ही नहीं था कि सरकार को रुपये की राशि प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी। 73, 342.43 सोसायटी से, लेकिन यह मध्यस्थ द्वारा आगे निर्देशित किया गया था कि अनुबंध के परिशिष्ट ए, बी और सी में निर्दिष्ट संपत्ति आर/2 प्रदर्शित करें उक्त राशि के भुगतान पर दावेदारों को पारित किया जाएगा। समझौते की अवधि के दौरान जिस भूमि और भवन के उपयोगकर्ता को सोसायटी को दिया गया था, उसे भारत संघ और राज्य सरकार को वापस करना था। मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान, अपीलार्थी सोसायटी ने उत्तरदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले कुछ दस्तावेजों को तलब किया। मुझे इस स्तर पर यह उल्लेख करना चाहिए कि मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही न केवल न्यायिक कार्यवाही के पैटर्न पर थी, बल्कि एक मुकदमे के नियमित परीक्षण के बराबर थी। तलब किए गए दस्तावेज प्रशासनिक अधिकारी, निलोखेरी की हिरासत में थे। उत्तरदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची काफी लंबी है, लेकिन हम केवल उन दस्तावेजों से संबंधित हैं जिनका क्रम संख्या में उल्लेख किया गया है। (i) उक्त सूची का (xv) और (xviii)। मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही में पक्षकार रहे प्रतिवादियों की अभिरक्षा से दस्तावेजों को तलब करने का आवेदन 20 मार्च, 1961 को किया गया था। आवेदन में इन दस्तावेजों का संदर्भ निम्नलिखित शब्दों में हैः —

‘‘(i) मूल अक्षर सं. 130, दिनांक 8 दिसंबर, 1954, श्री एल. सी. मौदगिल, मिलिट्री फार्म, अंबाला कैंट से प्रशासनिक अधिकारी, निलोखेरी को प्रशासनिक कार्यालय सं. आरआरएन/आईएनडी/145/54/4403, दिनांक 26 नवंबर, 1954, दूधिया मवेशियों पर मूल्यह्रास के संबंध में।

(xv) दूधिया पशुओं पर मूल्यह्रास के मामले का पत्राचार राज्य सरकार को भेजा गया,- प्रशासनिक अधिकारी पत्र सं। आरआरएन/एनटी-145-54, दिनांक 15 फरवरी, 1955.

(xviii) करनाल डेयरी के साथ पत्राचार और डेयरी विशेषज्ञ, सैन्य डेयरी फार्म, अंबाला कैंट को संदर्भित मामला, जैसा कि सोसायटी को सूचित किया गया है-पत्र नं। RRN/IND-145/54, दिनांक सितंबर, 1954, से A.R. सहकारी समितियां, कमल, और दावेदार सोसायटी को प्रतिलिपि। "v क्रम संख्या में उल्लिखित दस्तावेज़ के संबंध में एक लिपिकीय त्रुटि है। (i) जहां तक कि सं. 130 नहीं बल्कि 'एल 30' है।

(6) शानशंकर 5, दास, पीएस सप्लाई।कार्यालय के भीतर स्थिरता एडमिरल ट्रेटिव ऑफिसर, निलोखेरी, A.W के रूप में मध्यस्थ के समक्ष उपस्थित हुए। 8, 1 अप्रैल, 1961 को, और इन सभी दस्तावेजों को प्रस्तुत किया, लेकिन सरकार की ओर से विशेषाधिकार का दावा किया। वह अपने साथ आवश्यक हलफनामा नहीं लाए थे और उन्हें ऐसा करने में सक्षम बनाने के लिए मामले को स्थगित कर दिया गया था। श्री सुहेंद्र सिंह, जो प्रासंगिक समय में प्रशासनिक अधिकारी, निलोखेरी के रूप में कार्यरत थे, का आवश्यक हलफनामा 19 अप्रैल, 1961 को मध्यस्थ के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और इस आधार पर विशेषाधिकार का दावा किया गया था कि ये दस्तावेज आधिकारिक विश्वास में किए गए विज्ञप्ति थे और अपनी प्रकृति से वे ऐसे दस्तावेज थे जिन्हें पेश नहीं किया जा सकता था और उन्हें गुप्त रखा गया था। हलफनामे में कहा गया था कि उनके प्रदर्शन से सार्वजनिक हित को नुकसान होगा जो स्वतंत्र चर्चा, टिप्पणी और संचार की स्वतंत्रता को भी प्रभावित करेगा। मध्यस्थ साक्ष्य दर्ज करता रहा और विशेषाधिकार के सवाल पर उसके द्वारा कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया। 26 मई, 1962 को, मध्यस्थ ने मामले को 15 जून, 1962 तक स्थगित करने का आदेश पारित किया, और यह इस प्रकार हैः-"दावेदारों के विद्वान वकील का कहना है कि कुछ दस्तावेजों को उत्तरदाताओं से तलब किया गया था, लेकिन उन्होंने विशेषाधिकार का दावा किया है। उनका कहना है कि उस बिंदु पर भी निर्णय लिया जाना चाहिए। पक्षों के वकील उस बिंदु पर भी बहस करना चाहते हैं, क्योंकि वे गुण-दोष पर बहस करना चाहते हैं। उन्हें समय चाहिए। 15 जून, 1962 को पटियाला में स्थगन।

(7) मध्यस्थ के अभिलेख से यह प्रतीत होता है कि उसने किसी न किसी कारण से मामले को स्थगित करना जारी रखा और पहली टिपे के लिए 26 अगस्त, 1962 को विरोधियों द्वारा दावा किए गए विशेषाधिकार से संबंधित मुद्दे के संबंध में कुछ तर्कों की सुनवाई की गई। 12 सितंबर, 1962 के अपने आदेश में मध्यस्थ ने कहा है कि दस्तावेजों को जांच के लिए उसके सामने पेश किया गया था और तर्कों को अंशतः गुण-दोष पर भी सुना गया था। मामले को फिर से 30 सितंबर, 1962 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। फिर से या तो एक वकील या दूसरा अनुपस्थित था या किसी अन्य कारण से हस्तक्षेप किया जिसके कारण स्थगन की आवश्यकता पड़ी। आंशिक सुनवाई वाले मामले में 8 दिसंबर को फिर से दलीलें सुनी गईं। 1962, और पक्षों के वकील ने लिखित तर्क दायर करने की अनुमति मांगी। सोसायटी द्वारा लिखित दलीलें 12 जनवरी, 1963 को दायर की गईं, जब उत्तरदाताओं के वकील ने

इसकी एक प्रति मांगी और इसे उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। तब फिर से विज्ञापनों की एक श्रृंखला थी जब तक कि अंततः उत्तरदाताओं के वकील ने भी 14 सितंबर, 1963 को लिखित तर्क दायर नहीं किए। सोसायटी के वकील ने 14 सितंबर, 1963 को लिखित दलीलों का जवाब दाखिल करने का अवसर मांगा। तिथि के क्रम का एक महत्वपूर्ण असर है और इसे विस्तार से उद्धृत करने की आवश्यकता हैः - "लिखित तर्क दायर किए गए। अंतिम दलीलें दो घंटे तक सुनी गईं। पक्षों ने अपनी दलीलें बंद कर दी हैं। याचिकाकर्ता प्रतिवादियों द्वारा दायर लिखित दलीलों का जवाब दाखिल करना चाहते हैं। वे उत्तरदाताओं के वकील को एक प्रति के साथ ऐसा कर सकते हैं। दलों द्वारा पुरस्कार देने का समय बढ़ाया जाए। पुरस्कार की घोषणा 31 अक्टूबर, 1963 से पहले की जाएगी। पार्टियों को तारीख के बारे में सूचित किया जाएगा।"इस आशय का एक नोट है कि प्रतिवादियों के वकील की लिखित दलीलों का जवाब मध्यस्थ द्वारा 28 सितंबर, 1963 को प्राप्त किया गया था, और इसे लागू करने का आदेश दिया गया था।फ़ाइल में डाल दिया। 31 अक्टूबर, 1963 का एक और आदेश है, जो दर्शाता है कि कोई भी उपस्थित नहीं था और न ही पुरस्कार तैयार था। ऐसा लगता है कि पुरस्कार 16 नवंबर को तैयार हो गया है। 1963, और इसकी घोषणा 30 नवंबर, 1963 को की गई थी। कार्यवाही के अभिलेख से यह नहीं पता चलता है कि मध्यस्थ ने तब तक विशेषाधिकार के प्रश्न पर कोई आदेश पारित किया जब तक कि उसने अंततः सभी मुद्दों का निपटारा नहीं कर दिया और 30 नवंबर, 1963 को अपना निर्णय नहीं दे दिया। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि 14 सितंबर, 1963 तक पूरा मामला इस अर्थ में खुला था कि प्रत्यर्थियों के वकील की लिखित दलीलों का जवाब भी दाखिल किया जाना था। यह केवल 28 सितंबर, 1963 को ही कहा जा सका कि तर्क पूर्ण हैं और मामला पुरस्कार देने के लिए तैयार है।

(8) हम, तथापि, 14 सितंबर, 1963 के आदेश को पृथक करते हैं, जिसका प्रस्तावों में कोई संदर्भ नहीं दिया गया है। माना जाता है कि इसने विशेषाधिकार के मुद्दे का निपटारा कर दिया है। मध्यस्थ ने क्रम संख्या में दस्तावेजों के संबंध में विशेषाधिकार की अनुमति दी। (xv) और (xviii) लेकिन क्रम संख्या में उस मामले में नहीं। (i). उनकी राय थी कि दस्तावेज़ आधिकारिक विश्वास में एक लोक अधिकारी द्वारा दूसरे को किए गए संचार की प्रकृति के थे और इसलिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 124 के तहत विशेषाधिकार प्राप्त थे। हालाँकि, उन्होंने क्रम संख्या में दस्तावेज़ के संबंध में विशेषाधिकार से इनकार कर दिया। (i) उसी की एक प्रति के रूप में उसके सामने प्रदर्शनी ए के रूप में प्रस्तुत की गई थी। 16 जो श्री एल. सी. मौदगिल, मिलिट्री फार्म, अंबाला कैंट का एक अग्रेषण पत्र है, जिसके साथ खरीदे गए मवेशियों के मूल्यह्रास का पता लगाने के सूत्र से संबंधित स्थायी आदेश संलग्न किया गया था। स्थायी आदेश 'ए-32' के रूप में चिह्नित मध्यस्थ के रिकॉर्ड पर भी है। इस सूत्र के अनुसार एक दूध देने वाले जानवर का मूल्य रुपये की सीमा तक घटाया जाएगा। नौ महीने के बाद 150। इसमें निस्संदेह दूध देने वाले जानवरों के अवमूल्यन पर काम करने के लिए कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत शामिल हैं। जिन दस्तावेजों के लिए विशेषाधिकार की अनुमति दी गई थी, वे रिकॉर्ड में हैं और उनमें से एक को वास्तव में 'ए-10' के रूप में चिह्नित किया गया है। मध्यस्थ की यह स्थिति अत्यधिक असंगत और समझ से बाहर थी। उन्होंने क्रम संख्या में निर्दिष्ट दस्तावेज़ को चिह्नित किया। (xviii) प्रदर्शनी ए-10 के रूप में, इसे उसी के संबंध में अनुमत विशेषाधिकार के अभिलेख पर रखा और साथ ही इसे ध्यान में रखा। यह दस्तावेज़ केवल इतना ही दर्शाता है कि मूल्यह्रास का मामला डेयरी विशेषज्ञ, सैन्य फार्म, अंबाला कैंट को भेजा गया था और उनके जवाब का इंतजार था। क्रम सं. में निर्दिष्ट अन्य दस्तावेज। (xv) जिसके लिए एक विशेषाधिकार की अनुमति दी गई थी, वह है प्रशासनिक अधिकारी, निलोखेड़ी से सरकार के अवर सचिव, पंजाब, पुनर्वास विभाग, चंडीगढ़ को दुहाऊ मवेशियों पर अवमूल्यन के मामले का पत्राचार। मूल्यह्रास के मुद्दे पर एक संदर्भ दिया जाता है और एक सुझाव पाया जाता है कि विवाद तकनीकी प्रकृति का होने के कारण, डेयरी विशेषज्ञ, अंबाला कैंट की सलाह प्राप्त की जा रही थी। मध्यस्थ को यह तय करना था कि सोसाइटी को हस्तांतरित किए गए कुछ पशुधन के संबंध में समझौतों में आर/एल और आर/2 को प्रदर्शित करने के लिए किस संदर्भ में 'प्रोविशनल' अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया था। उन्होंने क्रमिक संख्या में तीन में से दो दस्तावेजों सहित मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य दोनों पर विचार किया। (i) और (xviii). अवमूल्यन से संबंधित सूत्र पर मध्यस्थ का ध्यान विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था, जिसकी एक प्रति 'ए-32' के रूप में रिकॉर्ड में है। यह वही सूत्र है जिसका उल्लेख प्रशासनिक अधिकारी और सरकार, पंजाब, पुनर्वास विभाग के अवर सचिव के बीच पत्राचार में किया गया है और इसका उल्लेख क्रम नं। (xv) सोसाइटी द्वारा बुलाए गए दस्तावेजों की सूची, जिनके संबंध में विशेषाधिकार की अनुमति दी गई थी। मध्यस्थ सोसायटी के तर्कों से प्रभावित नहीं था, और उसकी राय थी कि समझौतों आर/एल और आर/2 में दिखाई देने वाली 'अनंतिम' अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं किया गया था क्योंकि पक्षों का मन था कि बाद में पशुधन के संबंध में सोसाइटी को मूल्यह्रास की अनुमति दी जानी थी। तदनुसार उन्होंने इस तर्क को खारिज कर दिया कि सोसायटी किसी भी मूल्यह्रास का दावा कर सकती है। इसलिए, यह युक्तियुक्त रूप से तर्क नहीं दिया जा सकता है कि मध्यस्थ ने किसी भी साक्ष्य पर विचार नहीं किया जिसे पक्षकारों ने उसके समक्ष प्रस्तुत किया था या प्रस्तुत करना चाहते थे। दो दस्तावेजों के संबंध में विशेषाधिकार की अनुमति देने वाले उनके द्वारा पारित 14 सितंबर, 1963 के आदेश का कोई अर्थ नहीं था जब उन दस्तावेजों की प्रतियां उनके सामने थीं और उन्होंने उसी के सार को समझ लिया था। अपीलार्थी के विद्वत वकील का यह तर्क कि सोसाइटी को साक्ष्य प्रस्तुत करने के किसी भी अवसर से वंचित कर दिया गया था, जो कुछ

परिस्थितियों में पशुधन के मूल्य में अवमूल्यन का निर्धारण करने के लिए नियम देने वाले सूत्र के रूप में था-इस प्रकार, बल से रहित है और वास्तव में आहत किए बिना एक पुकार है।

(9) अपीलार्थी सोसाइटी के विद्वत वकील श्री भागीरथ दास ने जोरदार प्रतिवाद किया है कि मध्यस्थ कदाचार का दोषी था क्योंकि उसने 14 सितंबर, 1963 के आदेश को अंतःस्थापित किया था। जब वास्तव में उक्त तिथि पर ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया था, तब विशेषाधिकार की अनुमति दिए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए। दूसरे शब्दों में, तर्क यह है कि मध्यस्थ ने इस आदेश को पूर्व-दिनांकित किया और मध्यस्थ की विभिन्न कार्यवाहियों को इंगित करने वाले कालानुक्रमिक आदेश पर इसे रिकॉर्ड पर रखा यह दर्शाता है कि विशेषाधिकार का प्रश्न अंतिम तिथि तक खुला छोड़ दिया गया था। यदि माध्यस्थम् कार्यवाहियों के अभिलेख को देखा जाए तो यह सत्य है कि माध्यस्थम् ने विशेषाधिकार के मामले में निर्णय को दो वर्ष से अधिक समय तक लंबित रखा था, जिसके लिए कोई औचित्य नहीं था, लेकिन साथ ही अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे एक उचित निष्कर्ष निकाला जा सके कि माध्यस्थम् ने 14 सितंबर, 1963 के आदेश को अंतःस्थापित करके स्वयं को गलत तरीके से पेश किया। जब उन्होंने लगभग सभी दस्तावेजों पर विचार कर लिया था तो उन्हें ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

(10) अपीलार्थी सोसायटी के विद्वान वकील ने दिल्ली के अधिवक्ता श्री टी. एन. सेठी के साक्ष्य पर बहुत जोर दिया है, जो A.W. के रूप में उपस्थित हुए। 1, विचारण न्यायालय के समक्ष और अपदस्थ किया कि कुछ दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के विशेषाधिकार के प्रश्न पर आदेश 14 सितंबर, 1963 को या किसी अन्य दिन पक्षों की उपस्थिति में घोषित नहीं किया गया था या किसी भी समय सोसायटी या उसके वकील को सूचित नहीं किया गया था। हालाँकि, इस गवाह ने स्वीकार किया कि उसके संक्षिप्त या मध्यस्थता फाइल के संदर्भ के बिना, वह मौखिक रूप से यह नहीं बता सकता था कि अन्य मामलों में पक्षकारों को किस तारीख को विविध आदेशों की घोषणा की गई थी। आदेश स्वयं इस दुर्बलता से ग्रस्त है कि यह वहां नहीं लिखा गया है कि इसकी घोषणा की गई थी। मध्यस्थ, श्री बी. एल. मागो, जो उस समय वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश, लुधियाना थे, R.W. के रूप में उपस्थित हुए। 2 और शपथ पर कहा कि विशेषाधिकार प्रश्न से संबंधित 14 सितंबर, 1963 का आदेश उस दिन पक्षों की मौखिक दलीलें समाप्त होने के बाद लिखा और घोषित किया गया था। वह स्वीकार करते हैं कि उन्होंने 14 सितंबर, 1963 के आदेश के बाद पक्षों को सबूत पेश करने का कोई और अवसर नहीं दिया, क्योंकि किसी ने भी ऐसा अवसर नहीं मांगा था। पार्टियों के बीच पूरा विवाद, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, सार के बजाय एक छाया के बारे में है। मध्यस्थ, जो एक न्यायिक अधिकारी था, को निश्चित रूप से अपने आदेश में यह कहना चाहिए था कि इसकी घोषणा पक्षों को की गई थी, लेकिन यह हो सकता है कि, जैसा कि उसने कहा है, उसने वकील के जाने के बाद आदेश लिखा होगा। अधिवक्ता या मध्यस्थ की गवाही की सत्यता के बारे में निर्धारित करना आवश्यक नहीं है क्योंकि ऐसा कोई वास्तविक मुद्दा नहीं है जिसके लिए इस तरह के निष्कर्ष की आवश्यकता हो और न ही अभिलेख पर अधिक सामग्री के अभाव में कोई विशिष्ट निर्णय दिया जा सकता है। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि विशेषाधिकार के रूप में आदेश ने सोसायटी के साथ अन्याय किया है और यह मामला नहीं है कि किसी भी स्तर पर वह अधिक साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहता था जिसकी मध्यस्थ द्वारा अनुमति नहीं दी गई थी। यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है कि मध्यस्थ 14 सितंबर, 1963 को विशेषाधिकार से संबंधित आदेश पारित करने में किसी भी कदाचार का दोषी था।

(11) अपीलार्थी सोसाइटी के विद्वत वकील का अगला तर्क यह है कि चूंकि साक्ष्य की विधि किसी मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही पर लागू नहीं होती है, इसलिए मध्यस्थ को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 123 और 124 में परिकल्पित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के बारे में विशेषाधिकारों के प्रश्नों पर निर्णय लेने की कोई अधिकारिता नहीं है, जो विद्वत वकील के अनुसार केवल सिविल न्यायालय का कार्य है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि साक्ष्य के सख्त नियमों से बाध्य नहीं होने के कारण मध्यस्थ को सभी दस्तावेजों की जांच करनी चाहिए, हालांकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के संदर्भ में साक्ष्य में सख्ती से स्वीकार्य नहीं है, लेकिन विवाद पर असर पड़ता है, खासकर तब जब विवाद राज्य और एक नागरिक के बीच एक वाणिज्यिक लेन-देन से उत्पन्न होता है। हो सकता है कि इस तर्क के बारे में यह निष्कर्ष देना आवश्यक न हो कि हमारी इस धारणा के मद्देनजर कि जिन दस्तावेजों के संबंध में विशेषाधिकार की अनुमति दी गई थी, वास्तव में, मध्यस्थ द्वारा विचार किया गया था और यह कहा जा सकता है कि प्रक्रिया की किसी भी अनियमितता के कारण अपीलार्थियों के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ था। हालाँकि, इस बिंदु पर हमारे सामने बहस हुई थी, जिसके लिए यह आवश्यक है कि इस पर किसी का ध्यान न जाए। बार में कई अधिकारियों का उल्लेख किया गया था लेकिन मुझे उन्हें संदर्भित करने की आवश्यकता नहीं है।

(12) यह बहुत अच्छी तरह से तय किया गया है कि एक मध्यस्थ साक्ष्य और प्रक्रिया के कठोर नियमों से बंधा एक नियमित न्यायालय नहीं है, लेकिन साथ ही उसे उस प्रक्रिया का पालन करना चाहिए जो प्राकृतिक न्याय के अनुरूप है और पक्षों को उनके सामने अपना मामला रखने का एक निष्पक्ष और उचित अवसर प्रदान करता है ताकि उनके बीच विवाद को ठीक से हल किया जा सके। इस तर्क को

स्वीकार करना संभव नहीं है कि मध्यस्थ किसी भी साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में निर्णय नहीं ले सकता है और उसे खारिज कर सकता है यदि वह इसे अप्रासंगिक पाता है या किसी न्यायालय में पेश किए जाने से संबंधित विशेषाधिकार से संबंधित नियमों द्वारा प्रभावित होता है, केवल इसलिए कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम अपनी शर्तों में उसके समक्ष कार्यवाही पर लागू नहीं है। मध्यस्थ के पास यह निर्णय करने का अधिकार है कि क्या प्रासंगिक या अप्रासंगिक है और वह किसी उचित मामले में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 में अनुज्ञात रीति को छोड़कर राज्य के मामलों से संबंधित अप्रकाशित सरकारी अभिलेखों से प्राप्त सूचना को साक्ष्य में लेने से इनकार कर सकता है। मध्यस्थ भी कार्य करेगा। सरकारी कार्यालय में सरकारी अधिकारियों के बीच किए गए संचार को मजबूरन बंद न करने में अपनी शक्तियों के भीतर जब वह मानता है कि इस तरह के किसी भी प्रकटीकरण से सार्वजनिक हित को नुकसान होगा। धारा 123 और 124 में यथा अंतर्विष्ट विधि के उपबंध भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धाराएं, जो एक दूसरे के पूरक हैं, सार्वजनिक नीति के व्यापक सिद्धांतों पर आधारित हैं, जिन्हें मध्यस्थ द्वारा केवल इसलिए अस्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि वह एक नियमित न्यायालय का गठन नहीं करता है। यह मध्यस्थ के न्यायिक विवेकाधिकार का मामला है और वह कुछ मामलों में ऐसे दस्तावेजों को पेश करने के लिए मजबूर कर सकता है, जिनके बारे में वह समझता है कि उनमें राज्य के मामलों से संबंधित अनौपचारिक अभिलेखों से प्राप्त कोई साक्ष्य नहीं है या आधिकारिक विश्वास में संचार नहीं है। यदि कोई साक्ष्य इतना सारवान है कि उसे साक्ष्य में स्वीकार करने की अनुमति देने से इनकार करना किसी पक्ष को अपना मामला स्थापित करने के वास्तविक अवसर से इनकार करने के बराबर है, तो मध्यस्थ को यह देखना चाहिए कि ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है और राज्य सरकार के अधिकारी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 और 124 के प्रावधानों का उपयोग केवल किसी पक्ष के न्यायसंगत दावे को विफल करने के लिए आवश्यक और प्रासंगिक साक्ष्य रखने के लिए केवल एक लबादा के रूप में नहीं करते हैं। प्रत्येक मामला अपने स्वयं के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और एकमात्र प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा-क्या मध्यस्थ द्वारा किसी विशेष साक्ष्य को देने से इनकार करने से मामले के निर्णय पर गंभीर रूप से प्रभाव पड़ा है ताकि यह कहा जा सके कि प्राकृतिक न्याय के नियमों का उल्लंघन हुआ है। निश्चित रूप से, मध्यस्थ को किसी भी साक्ष्य की ग्राह्यता के प्रश्न का विनिश्चय करने में, ईमानदारी से और न्यायिक रूप से कार्य करना है, और यदि वह विधि की कोई त्रुटि करता है तो यह स्वयं पुरस्कार को अपास्त करने का आधार नहीं होगा क्योंकि एक मध्यस्थ पक्षों द्वारा चुना गया न्यायाधीश है और सही या गलत निर्णय ले सकता है और पक्षों को उसके निर्णय को तब तक स्वीकार करना होगा जब तक कि वह कदाचार का दोषी साबित न हो जाए। दूसरी ओर, यदि मध्यस्थ ने स्वीकार्यता के प्रश्न का गलत निर्णय करके, साक्ष्य रखा है जो भौतिक था और मामले के निर्णय को प्रभावित करने की संभावना थी, तो उसका आचरण प्राकृतिक न्याय के नियमों का उल्लंघन होगा और पुरस्कार को अलग करना होगा। राज्य और एक नागरिक के बीच एक मुकदमे में, उत्तरार्द्ध कुछ समय के लिए नुकसान में होता है जब दस्तावेजी साक्ष्य पूर्व के कब्जे में होता है और यह विशेषाधिकार के कथित आधार पर उसे पेश करने से इनकार करता है। वाणिज्यिक लेन-देन में, यह सब अधिक एक कारण है कि मध्यस्थ को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए मजबूर करना चाहिए जो प्रासंगिक है। ऐसे लेन-देनों में, एक विभाग द्वारा दूसरे विभाग को किया गया संचार किसी समय दायित्व को स्वीकार करने के बराबर हो सकता है, जिसे आमतौर पर साबित करना अनुमत है और केवल यह तथ्य कि राज्य इस आधार पर विशेषाधिकार का दावा करने का विकल्प चुनता है कि यह राज्य के मामलों से संबंधित है या यह कि यह आधिकारिक विश्वास में एक संचार है, न्यायालय या मध्यस्थ के समक्ष ऐसे महत्वपूर्ण और प्रासंगिक साक्ष्य को रोकने को उचित नहीं ठहरा सकता है। विशेषाधिकार के आधार पर आपत्ति की वैधता प्रत्येक मामले में तय की जानी है और कोई पूर्ण नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तत्काल मामले में, मध्यस्थ ने विशेषाधिकार की अनुमति दी, लेकिन जैसा कि पहले ही ऊपर कहा गया है, इससे मामले के गुण-दोष प्रभावित नहीं हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप कोई अन्याय हुआ है।

(13) अपीलार्थियों के विद्वत वकील द्वारा यह तर्क दिया गया है कि दोनों समझौतों में 'अनंतिम' पद का प्रयोग क्रमशः 1 अक्टूबर, 1950 और 5 मई, 1953 के आर/एल और आर/2 को दर्शाता है, थारपारकर और नीली शी-भैंस के खिलाफ यह संकेत देता है कि अपीलार्थी इन वर्गों के जानवरों के पुस्तक मूल्य पर अवमूल्यन का दावा करने के हकदार थे। सोसायटी का दावा है कि वह कम से कम रुपये की छूट का हकदार होगा। 33, 083 यदि 'अनंतिम' अभिव्यक्ति के दिए जाने वाले अर्थ के बारे में उनकी याचिका मध्यस्थ द्वारा स्वीकार कर ली गई थी। मध्यस्थ ने मामले के पूरे पहलू पर विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सोसायटी द्वारा दी गई व्याख्या 'अनंतिम' शब्द को दिए जाने का इरादा नहीं था और यह कि यह केवल पुस्तक मूल्य था जिसे अवमूल्यन के किसी भी प्रश्न के बिना ध्यान में रखा जाना था। मध्यस्थ की राय में, अपीलार्थी इस प्रकार पशुधन के बही मूल्य पर किसी भी अवमूल्यन के हकदार नहीं हो सकते थे। उन्होंने, इस संबंध में, मौखिक और दस्तावेजी दोनों तरह के सभी साक्ष्यों की जांच की है, जो उनके सामने पेश किए गए थे, और यह नहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने सामने उठाए गए इस तरह के तर्क को स्वीकार नहीं करने में कोई कदाचार किया है। यह निर्णय करना मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र में था कि वर्तमान सहजता के संदर्भ में 'अनंतिम' अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है और उन्होंने उचित विचार के बाद उस पर निर्णय दिया। भले ही इस प्रकार दिया गया निर्णय गलत था, यह अपीलार्थियों को उस आधार पर पुरस्कार को अलग रखने का कारण नहीं दे सकता है।

(14) अपीलार्थियों का एक अन्य तर्क कि मध्यस्थ संदर्भ से परे चला गया, भी बल से रहित है। तर्क यह है कि मध्यस्थ, समझौतों के संदर्भ में आर/एल और आर/2 प्रदर्शित करता है, जिसमें से संदर्भ उत्पन्न हुआ, केवल किसी भी कथित उल्लंघन या अनुबंध के उल्लंघन के लिए उत्तरदाताओं को देय मुआवजे की मात्रा तय कर सकता है और यह नहीं कि वह आदेश दे सकता है कि भूमि भवन और अन्य प्रोपरोपर्टी को प्रशासन के पास वापस जाना चाहिए। विद्वान वकील के अनुसार, मध्यस्थ ने इस तरह की राहत की अनुमति देने और संपत्ति को सरकार को फिर से हस्तांतरित करने का आदेश देने में अपनी शक्तियों से परे चला गया। यह पहले ही कहा जा चुका है कि मध्यस्थ ने पाया कि अपीलार्थियों ने अनुबंध के कई उल्लंघन किए हैं। दोनों समझौतों के खंड (डब्ल्यू) में यह प्रावधान किया गया है कि आर/एल और आर/2 प्रदर्शित करता है कि प्रशासन के पास अपीलार्थियों के अनुपालन में विफलता की स्थिति में अनुबंध को रद्द करने की शक्ति होगी। अनुबंध के किसी भी खंड या खंड के साथ। जब अपीलार्थियों द्वारा उल्लंघन किए जाने का पता चला और प्रशासन ने अनुबंध को रद्द कर दिया, तो मध्यस्थ के लिए यह निर्देश देने के लिए खुला था कि संपत्ति और अन्य सभी संपत्तियां जो अपीलार्थियों को हस्तांतरित की गई थीं, और उनके द्वारा तब तक ही रखी जा सकती थीं जब तक कि वे कुछ शर्तों को पूरा करते हैं, उन्हें प्रशासन को वापस कर दिया जाना चाहिए। हमारी राय में, मध्यस्थ ने अन्य बातों के अलावा, प्रशासन को अपीलार्थियों द्वारा संपत्ति और अन्य संपत्तियों की वापसी का निर्देश देने में, अपने अधिकार क्षेत्र और संदर्भ के दायरे के भीतर कार्य किया। अतः इन परिस्थितियों में मध्यस्थ के संदर्भ से परे जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

(15) हमारे सामने कोई अन्य मुद्दा नहीं उठाया गया था।

(16) पूर्वगामी कारणों से, अपील विफल होनी चाहिए और खर्च के रूप में बिना किसी आदेश के खारिज कर दी जाती है।

(17) न्यायमूर्ति, पंडित, . -मैं सहमत हूँ।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

डा० सुशीला
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
रोहतक,हरियाणा